

क्रमांक : प. 6 (2) वित्त/साविलेनि/2018

जयपुर, दिनांक : 30-06-2025

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के परिशिष्ट-XVI में संशोधन।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.06.2024 के द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के परिशिष्ट-XVI में संशोधन किये गये थे। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 18 में शिथिलन प्रदान कर आदेश दिनांक 24.03.2025 के द्वारा वर्तमान में पंजीकृत संवेदकों से बढ़ी हुई सिक्यूरिटी डिपोजिट की अन्तर राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक 30.06.2025 निर्धारित की गयी थी।

इस संबंध में बढ़ी हुई सिक्यूरिटी डिपोजिट की अन्तर राशि जमा कराने की अवधि को दिनांक 30.09.2025 तक बढ़ाया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हरीश लड्डा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडिफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।



मुख्य लेखाधिकारी

(PWF&AR-104/2025)